बिहार सरकार
जल संसाधन विभाग
कार्यपालक अभियंता (यॉत्रिक) का कार्यालय
सिंचाई यॉत्रिक प्रमंडल,वाल्मीकिनगर।
email:- ex.mechval@gmail.com

अति– अल्प कालीन निविदा आमंत्रण सूचना संख्या 08/2026–27

(केवल –ई–टेन्डर पद्धति के अनुसार वेवसाईट **www.eproc2.bihar.gov.in** पर)
(प्रतिशत दर निविदा)

पत्रांक:– 1103 वाल्मीकिनगर, दिनांक:– 03.09.2026

1–कार्य की विवरणी

क्रम सं. ख्या	कार्य की विवरणी	प्राक्कलित राशि (रू0 में)	अग्रधन की राशि (रू0 में)	परिमाण विपत्र का मूल्य (रूपये में)	बेल्ट्रॉन को देय प्रोसेसिंग फी (अप्रत्यार्पणीय) (केवल ऑनलाईन मोड में भुगतेय रूपये में)	कार्य समाप्ति की अवधि
1	2	3	4	5	6	7
1	तिरहुत मुख्य नहर एवं इसके सभी शाखा नहर,वितरणी, उपवितरणी एवं माइनर नहर के विभिन्न बिन्दुओं पर लगे नहर गेटोंके सामान्य सम्पोषण कार्य। 2026–27 (कार्य क्षेत्र – जिला – पश्चिमी चंपारण)	1619471	32400	5000	1190	20 दिन
2	सुगौली शाखा नहर के बिन्दु दुरी 45.00 H/R-01, 55.50 H/R–02, और 55.50 C/R–01 और विश्वास उप–वितरणी के बिन्दु दूरी 17.00 H/R–02 पर लगे नहर गेटोंके निर्माण,एवं अधिष्ठापन कार्य, उत्तोलन प्रणाली की मरम्मती, उत्तोलन मंच क` चेकर प्लेट,SS प्लेट, MS प्लेट, रबर सील, आदि के बदलने का कार्य। (कार्य क्षेत्र –जिला – पश्चिमी चंपारण)	1507890	30200	5000	1190	20 दिन
3	घोड़ासहन शाखा नहर के बि०दू० 130.40 C/R पर अवस्थित गेटों के निर्माण, अधिष्ठापन कार्य, उत्तोलन प्रणाली की मरम्मती, SS प्लेट, MS प्लेट, रबर सील, आदि के बदलने का कार्य। (कार्य क्षेत्र –जिला – पूर्वी चंपारण)	1678084	33600	5000	1190	20 दिन

2. विज्ञापन निर्गत करने की तिथि :– दिनांक 03.09.2026
3. निविदा कागजात डाउनलोड एवं अपलोड करने की अवधि :– दिनांक 16.09.2026 से 21.09.2025 के अपराहण 3.00 बजे तक। **(www.eproc2.bihar.gov.in)**
4. तकनीकी बीड खोलने की तिथि एवं समय :– दिनांक 22.09.2026 को समय 3.30 बजे अप0 **(www.eproc2.bihar.gov.in)**
5. वित्तीय बीड खोलने की तिथि एवं समय :– तकनीकी बीड की स्वीकृति के बाद अलग से सूचना दी जायेगी। **(www.eproc2.bihar.gov.in)**
6. निविदा खोलने का स्थान :– **(www.eproc2.bihar.gov.in)** पर
7. निविदा की वैधता अवधि :– 120 दिन
8. विज्ञापनदाता का पदनाम एवं पता :– कार्यपालक अभियंता (यॉ0), सिंचाई यॉत्रिक प्रमंडल,वाल्मीकिनगर।
9. ई–टेण्डरिंग की प्रक्रिया में भाग लेने हेतु संवेदकों को विभाग में समुचित श्रेणी में पंजीकृत होना अनिवार्य होगा, जिससे कि उन्हें उपयोगकर्ता का नाम (User ID) पासवर्ड (Password) अंकिय हस्ताक्षर (Digital Signature) आवश्यक होगा। यह उन्हें वेबसाईट **(www.eproc2.bihar.gov.in)** से डाउनलोड करने/ई–टेन्डरिंग की प्रक्रिया में भाग लेने की योग्यता प्रदान करेगा।
10. ई–निविदा मात्र **(www.eproc2.bihar.gov.in)** पर डाउनलोड एवं अपलोड किया जा सकता है।

03/09/26

(ई0 जय किशन)
कार्यपालक अभियंता (यॉत्रिक)
सिंचाई यॉत्रिक प्रमंडल, वाल्मीकिनगर
3/9/26

Scanned with OKEN Scanner

निविदा के नियम एवं शर्ते

(क) e-tendering/e-procurement प्रणाली के तहत निविदा हेतु बीड प्रोसेसिंग शुल्क एवं परिमाण विपत्र का मूल्य (जो लौटाया नहीं जायेगा) का भुगतान Online mode (e-payment mode) यानी Internet Payment Gateway (Credit/Debit Card), Net Banking, NEFT/RTGS द्वारा किया जाना अनिवार्य है।

(ख) e-tendering/e-procurement प्रणाली के तहत निविदा में अग्रधन के रूप में जमा की जाने वाली राशि Online mode (e-Payment mode) अथवा Physical mode/Manual Payment System में स्वीकार्य होगा।

Online mode के तहत अग्रधन की राशि Internet Payment Gateway (Credit/Debit Card), Net Banking, NEFT/RTGS के माध्यम से जमा किया जा सकता है। Physical mode/Manual Payment System के तहत अग्रधन की राशि मात्र बिना शर्त वाली बैंक गारन्टी (as per the format in SBD) जो बिड के मान्य अवधि (120 दिन + 45 दिन = 165 दिन) तक के लिए बिहार अवस्थित किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक/अनुसूचित बैंक से कार्यपालक अभियंता, (यांत्रिक) सिंचाई यॉत्रिक प्रमंडल, वाल्मीकिनगर के पक्ष में निर्गत हो। (अगर बिहार प्रान्त के बाहर के बैंक से निर्गत बैंक गारन्टी दिया जाता है तो एकरारनामा के पूर्व इसे बिहार अवस्थित किसी बैंक से निर्गत किया जाना होगा), विभागीय पत्रांक 88 दिनांक 29.01.2024 एवं विभागीय पत्रांक 804 दिनांक 19.10.2023 लागू होगा।

(ग) "Bids along with necessary online payments must be submitted through e-Procurement portal www.eproc2.bihar.gov.in before the date & time specified in the NIT. The department doesn't take any responsibility for the delay/Non Submission of Tender/Non Reconciliation of online payment caused due to non-availability of Internet Connection, Network Traffic/Holidays or any other reason".

(घ) BSEDC Processing Fee and Tender Fee/BOQ Fee has to be paid through e-payment mode only. EMD may be paid either through online or offline mode".

(ङ) e-proc2 Portal पर निविदा हेतु विभागीय पत्रंक 385 दिनांक 26.08.2020 एवं सूचना प्रौद्यौगिकी विभाग बिहार सरकार के पत्रांक 752 दिनांक 21.08.2020 एवं पत्रांक 1045 दिनांक 09.06.2026 द्वारा निर्गत संकल्प सह ज्ञापांक पूर्णतः लागू होगा।

(च) ई–निविदा की प्रक्रिया में भाग लेने हेतु संवेदकों को पंजीकृत होना होगा, जिससे कि उन्हें उपयोगकर्ता का नाम (User ID) पासवर्ड (Password) अंकित हस्ताक्षर (Digital Signature) आवश्यक होगा। यह उन्हं बेबसाईट www.eproc2.bihar.gov.in डाउनलोड करने की प्रक्रिया में भाग लेने की योग्यता प्रदान करेगा।

2. ई–निविदा मात्र वेबसाइट www.eproc2.bihar.gov.in पर डाउनलोड एवं अपलोड किया जा सकता है।

3. संवेदक परिमाण विपत्र सिर्फ वेबसाईट से प्राप्त करने के उपरान्त वेबसाईट पर ही इलेक्ट्रोनिक निविदा पत्र को भर कर अपलोड करेंगे। अन्य सभी महत्वपूर्ण कागजात अग्रधन की राशि/सभी प्रमाण पत्र जो निविदा के लिए आवयक है, को स्कैन कर ई–निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य है।

4. किसी भी प्रकार का शुद्धि–पत्र को वेबसाईट पर प्रकाशित किया जायेगा। अधोहस्ताक्षरी को बिना पूर्व सूचना के एवं बिना कारण बताए निविदा रद्द/विस्तारित करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।

5. संवेदक स्कैन कर कागजातों को अपलोड करने के पूर्व सूचीबद्ध करते हुए क्रमांक अंकित करेंगे ताकि किसी खास कागजात को क्रमांक संख्या/पृष्ट संख्या के आधार पर शीघ्र खोजा जा सकें। सभी प्रलेख Pdf, MS Office (Compatibility Mode), JPEG, ZIP Format में ही अपलोड किये जाए, अन्य Format में Upload documents Download/open नहीं होने पर कोई दावा मान्य नहीं होगा।

6. संवेदक स्कैन कर अपलोड किए गये कागजातों की Download ability/Visibility से पूर्ण संतुष्ट हो लेंगे।

Scanned with OKEN Scanner

7. इन्टरनेट सेवा में किसी प्रकार की त्रुटि होने के संबंध का कोई भी दावा मान्य नहीं होगा। अतः संवेदकों को चाहिए कि अंतिम समय के पूर्व ही कठिनाइयें से बचने हेतु बीड को अपलोड कर लें।

8. <u>तकनीकी बीड का मूल्यांकन निम्न मापदण्ड के अनुरूप किया जायेगा।</u>

(a) बिहार सरकार, पथ निर्माण विभाग के अधिसूचना संख्या–प्रा०–6/नियम/03–04/2002/134 (5) पटना दिनांक 13.12.2011 के आलोक में स्थानीय अभिकर्ता श्रेणी–4 के अधीन सम्बन्धित जिला में निबंधन होना अनिवार्य होगा । तत्सम्बन्धित अधतन निबंधन प्रमाण–पत्र निविदा के संलग्न करना आवश्यक होगा। अध्यतन प्रमाण पत्र हेतु विभागीय पत्रांक 1964 दिनांक 09.05.2025 द्रष्टव्य ।

(b) निविदा सूचना में अंकित परिमाण विपत्र का मूल्य एवं अग्रधन की राशि निर्धारित स्वरूप में समुचित रूप से संलग्न किया जाना आवश्यक होगा।

(c) निविदादाता द्वारा उद्योग आधार अथवा उद्यम (Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises)/S.S.I. का निबंधन प्रमाण–पत्र संलग्न करना आवश्यक होगा।

(d) निविदादाता को फैक्ट्री लाईसेंस जो निविदादाता के नाम से निर्गत हो, को संलग्न करना आवश्यक होगा।

(e) निविदा में भाग लेने वाले संवेदक को संबंधित जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा निर्गत मान्य (वैध) चरित्र प्रमाण पत्र संलग्न करना आवश्यक होगा।

9. निम्न आशय का शपथ पत्र (Affidavit निविदा निर्गत करने की तिथि के बाद का निर्गत) जमा करना अनिवार्य होगा।
जो इस प्रकार है :–

(a) यह कि मुझे किसी सरकारी/अर्द्धसरकारी प्रतिष्ठान द्वारा वंचित (Debar/Blacklisted) अथवा विगत एक वित्तीय वर्ष के अंदर एकरारनामा रद्ध (Rescind) नहीं किया गया है।

(b) "I, the undersigned, do hereby certify that all the statements made in the required aattachments are true and correct, and if found fake/forged, the undersigned will be liable for infiction upon the F.I.R and lawful punishment as well as black listing".

10. पथ निर्माण विभाग (बिहार सरकार) की अधिसूचना संख्या 449(S) दिनांक 16.01.2020 द्वारा प्रतिशत दर निविदा (In Percentage Rate Tender), पद्धति में प्राप्त किये जाने वाली सभी प्रकार की निविदित दर कि न्यूनतम अधिसीमा को तत्काल समाप्त करते हुए परिणाम विपत्र कि दर से कम उद्धरित दर वाले निविदा के लिये APG (Additional Performance Guarantee) का प्रावधन किया गया है, के अनुरूप कार्रवाई की जायेगी।

11. निविदादाता को पार्टनरशिप डीड/मेमोरेन्डम ऑफ ऐसोशियेशन/पॉवर ऑफ एटर्नी/ऑथरीटी लेटर की सत्यापित प्रति आवश्यकतानुसार तकनीकी निविदा के साथ संलग्न करना होगा।

12. निविदा का न्यूनतम दर विभागीय पत्रांक 1/PMC/न्यायालय–01/2022–536 दिनांक 18.07.2023 के अन्तर्गत होगा।

13. निविदा प्राप्त की तिथि को राजपत्रित अवकाश घोषित होने पर निविदा अगले कार्य दिवस को निश्चित समय पर प्राप्त एवं खोली जायेगी।

14. जिन निविदादाताओं को कार्य आवंटित होगा, उन्हें तत्काल एकरारनामा कर कार्य प्रारंभ कर देना होगा, अन्यथा कार्य आवंटन रद्द करते हुए जमानत की राशि जब्त कर ली जायेगी।

15. कार्य का एकरारनाम एफ 2 (कंडिका 23 विलोपित) पर किया जायेगा।

16. निविदादाताओं का दायित्व होगा कि निविदा डालने के पूर्व कार्यस्थल का निरीक्षण कर कार्य की प्रकृति एवं कार्य सम्पादन में आने वाली कठिनाईयें से स्वयं अवगत हो लेंगे।

Scanned with OKEN Scanner

17. सभी लौह सामग्रीयाँ ख्याति प्राप्त निर्माता (यथा सेल/टाटा/जिंदल) एवं सभी विद्युतीय उपकरण यथा (Schneider/Havells) इत्यादि कम्पनी/प्राधिकृत विक्रेता से क्रय कर उपयोग करना होगा। क्रय से संबंधित विपत्र अधोहस्ताक्षरी को समर्पित करना होगा।

18. कार्य की प्राक्कलित राशि एवं मात्रा धट बढ़ सकती है अतएव परिमाण विपत्र में अंकित राशि के आधार पर अग्रधन की राशि एवं निविदा संलेख का मूल्य देय होगा।

19. निधि उपलब्ध होने के पश्चात् ही कार्य का भुगतान संभव होगा।

20. प्रभारी अभियंता के निदेशानुसार एवं विशिष्ट के अनुरूप कार्य करना होगा।

21. कार्य के पूर्ण होने तक सामाग्रियों की सुरक्षा एवं भंडारण आदि की व्यवस्था की दायित्व संवेदक का होगा, एवं कार्य करने के पश्चात् पुराने लौह सामाग्रियों को प्रमंडलीय कार्यालय परिसर में अपने व्यय पर ढुलाई के साथ जमा करना अनिवार्य होगा, अन्यथा उनके विपत्र से नियमानुसार पैनल दर कटौती कर ली जायेगी।

22. जी0एस0टी0 एवं आयकर की कटौती नियमानुसार की जायेगी।

23. श्रमिक कल्याण निधि मद में 1% (एक प्रतिशत) की दर की कटौती की जायेगी।

24. संवेदक द्वारा सम्पादित कार्य एक वर्ष तक के लिए Defect Liability के अन्दर होगा। पूरे सिंचाई अवधि/बाढ़ अवधि में किसी तरह की खराबी आने पर बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के उन्हें मरम्मति कर पुनः क्रियाशील करना अनिवार्य होगा।

25. जिन निविदादाताओं को कार्य आवंटित होगा, उन्हें एकरारनामा के समय निर्धारित अवधि में कार्य पूरा करने से संबंधित स्वहस्ताक्षरित वर्क सिड्यूल (Work Schedule) (जो एकरारनामा का अभिन्न अंग समझा जायेगा) समर्पित करने बाद ही एकरारनामा किया जायेगा एवं कार्यादेश प्राप्त होते ही यथाशीघ्र कार्य प्रारंभ कर देना होगा, अन्यथा आवंटित कार्य रद्द करते हुए जमानत की राशि जब्त कर ली जायेगी।

26. निविदा में भाग लेने वाले निविदादाताओं को जी0एस0टी0 में निबंधन होना आवश्यक है एवं तत्संबंधी निबंधन प्रामण पत्र निविदा के साथ संलग्न करना आवश्यक होगा।

27. एक से अधिक निविदाकार के द्वारा समान न्युनतम दर पर उद्धृत किये जाने की स्थिति में सफल निविदाकार का चयन बिहार लोक निर्माण के संहिता के नियम 163 के प्रावधान में आलोक में लॉटरी के माध्यम से किया जायेगा।

28 सफल निविदादाताओं को कार्य आवंटन के उपरान्त एकरारनामा के समय स्वीकृत राशि का 3% (तीन प्रतिशत) जमानत की राशि के रूप में क्रमांक 1 (ख) के अनुरूप विधिवत प्रतिज्ञिप्त हो, जमा करना होगा। इस प्रकार जमानत की राशि एकरारनामा के समय 2% + 3% = 5% देय होगी। 5% (पाँच प्रतिशत) की राशि जमानत के रूप में विपत्र से काट ली जायेगी। जमानत की राशि कार्य पूर्ण होने एवं सभी पहलुओं की जांच करने के उपरान्त वापस की जायेगी।

29. बिना कारण बताये पूर्ण अथवा आंशिक निविदा को स्वीकार अथवा रद्द करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी को सुरक्षित रहेगा। रद्द किये गये निविदा के किसी प्रकार का स्पष्टीकरण बताने हेतु निर्णय लेने वाले पदाधिकारी वाध्य नहीं होगें।

30. निविदाकार द्वारा दी गयी सूचना गलत पाये जाने पर नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जायेगी।

31. खान एवं भूत्तव विभाग, बिहार के पत्रांक 4418 दिनांक 19.10.2024 के आलोक में संवेदकों द्वारा व्यवहृत खनिज का परिवहन ई–चालान/परमिट समर्पित करना अनिवार्य होगा। परमिट समर्पित नहीं करने अथवा अवैध/फर्जी चालान पाये जाने की स्थिति में खनिज मूल्य के रूप में व्ययहृत खनिज के स्वामित्व का 25 गुणा राशि विपत्र से कटौती कर ली जायेगी।

32. जल संसाधन विभाग पटना के पत्रांक 201 दिनांक 28.02.2025 लागू होगा।

33. सशर्त निविदा मान्य नहीं होगा।

34. विभागीय आदेश सं0 1/PMC/विविध/879/2024–पार्ट–III-201 पटना दिनांक 28.02.2025 के आलोक में परिवाद का निष्पादन किया जायेगा।

35. विभागीय ज्ञापांक 1964 दिनांक 09.05.2025 के आलोक में जल संसाधन विभागान्तर्गत संवेदकों द्वारा offline माध्यम से निर्गत निबंधन प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा।

36. जल संसाधन विभाग का पत्रांक 686 दिनांक 19.08.2014 पत्रांक 197, 200, 201, 202 दिनांक 14.03.16 एवं पत्रांक 274 दिनांक 18.04.16 में दिये गये शर्तो का एवं समय–समय पर विभाग द्वारा निर्गत निदेशों का पालन करना अनविार्य होगा।

Scanned with OKEN Scanner

37. पथ निर्माण विभाग के पत्रांक 3162(S) दिनांक 09.05.2016 एवं पत्रांक 2863(E) दिनांक 07.06.2017 अनुमान्य होगा।

38. निविदादाता को समान प्रकृति के कार्य का अनुभव के साथ–साथ विगत पांच वर्षो में किसी एक वर्ष में निविदा के समान कार्य का कार्य प्रमाण पत्र निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा। जिसका विवरण निविदा अभिलेख में संलग्न होगा।

Jai Kishan 03/09/26

(ई0 जय किशन)
कार्यपालक अभियंता (यॉंत्रिक)
सिंचाई यॉंत्रिक प्रमंडल, वाल्मीकिनगर
3/9/26

पत्रांक– वाल्मीकिनगर / दिनांक–

प्रतिलिपिः– सूचना एवं जन सम्पर्क पदाधिकारी, जल संसाधन विभाग, पटना को हार्ड कॉपी एवं सॉफ्ट कॉपी के साथ दो दैनिक अखबार में प्रकाशनार्थ एवं विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु समर्पित।

अनु– अनु–यथावत्।

ह0
(ई0 जय किशन)
कार्यपालक अभियंता (यॉंत्रिक)
सिंचाई यॉंत्रिक प्रमंडल, वाल्मीकिनगर

पत्रांकः– 1103 वाल्मीकिनगर / दिनांकः– 03.09.2026

प्रतिलिपि– अधीक्षण अभियन्ता (यांत्रिक) सिंचाई यॉंत्रिक अंचल, मुजफ्फरपुर / मुख्य अभियन्ता (यांत्रिक) जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु समर्पित।

अनु–यथावत्।

Jai Kishan 03/09/26

(ई0 जय किशन)
कार्यपालक अभियंता (यॉंत्रिक)
सिंचाई यॉंत्रिक प्रमंडल, वाल्मीकिनगर
3/9/26

Scanned with OKEN Scanner